आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

असाधारण सामान्य बैठक

बुधवार, सितंबर 23, 2015, को सायं 04.30 बज़े

स्थान : आन्ध्रा बैंक, एपेक्स कॉलेज, प्लॉट नबर. 27-29,

फैनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Wednesday, 23.09.2015 at 04.30 pm

at

Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29,

Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad 500 032

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

विषय सूची

CONTENTS

	पृष्ठ संख्या Page No.
सूचन	1
NOTICE	8
सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ	2
NOTES TO NOTICE	9
उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास	17
ATTENDANCE SLIP, ENTRY PASS	14
प्रॉक्सी फार्म	18
PROXY FORM	15

CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS	
Specified Date for participating in the Remote e-voting and the POLL to be conducted at the venue of the E.G.M.	Wednesday, September 16, 2015
Last date of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorised Representatives	Friday, September 18, 2015 (Upto 5.00 p.m.)
Remote e-voting Period	Sunday, September 20, 2015 (From 10.00 a.m.) to Tuesday, September 22, 2015 (upto 5.00 p.m.)
Date and time of Extraordinary General Meeting	Wednesday, September 23, 2015 at 4.30 P.M.

प्रधान कार्यालय : डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष : डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. युनिटः आन्ध्रा बैंक, 002, भू-तल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई – 400 009

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Shareholders & Investor Grievances Cell : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED, UNIT: ANDHRA BANK, 002, GROUND FLOOR, KASHIRAM JAMNADAS BLDG., 5, P.D'MELLO ROAD, MASJID EAST, MUMBAI - 400 009. Ph. No. 022-40206020/22/23/24, Fax No. 022-40206021

आन्ध्रा बैंक

विभाग : बोर्ड सचिवालय
(व्यापारी बैंकिंग प्रभाग)
<u>प्रधान कार्यालय : हैदराबाद</u>

<u>सूचना</u>

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक बुधवार, सितंबर 23, 2015, को सायं 04.30 बज़े आन्ध्रा बैंक, एपेक्स कॉलेज, प्लॉट नंबर. 27-29, फैनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032 में निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु आयोजित की जाएगी।

मद सं. 1 भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन द्वारा ईक्विटी शेयर जारी करके पूंजी बढाना,
निम्न विशेष संकल्प पर विचार करना एवं यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना पारित करना ।

'संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 एवं आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के अनुसरण में एवं भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं / या इस संबंध में, अपेक्षित अनुसार अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदनों, सम्मतियों, मंजूरियों, यदि हो, के अधीन एवं ऐसे अनुमोदनों की मंजूरी में, जैसा उनके द्वारा निर्धारित अनुबंधों, शर्तों एवं संशोधनों, जिनके लिए आन्ध्रा बैंक के निदेशक मंडल सहमत है कि अधीन एवं समय-समय पर संशोधित सेबी (पूंजी एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) अधिनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) एवं आरबीआई द्वारा निर्धारित विनियम एवं समय-समय पर सभी अन्य संबंधित प्राधिकारियों के अधीन एवं स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके उपरांत अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को नकद रु. 76.42 पैसे में प्रति शेयर (रु. 66.42 पैसे प्रति शेयर प्रीमियम सहित) के लिए अंकित मूल्य प्रत्येक रु 10/- के 4,94,63,491 (चार करोड़ चौरानबे लाख तिरसठ हजार चार सौ इक्यानबे मात्र) ईक्विटी शेयर सृजन, अर्पण, जारी एवं आबंटन द्वारा पूंजी बनाने के लिए 'बोर्ड कहलाएगा', सेबी आईसीआर विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसार जैसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है एवं कुल रु 378 करोड़ तक, के अधीन ।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी मूल्य निश्चित करने के लिए संबंधित तारीख 24.08.2015 है। '

'यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड की अपेक्षाओं या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या जारी, आबंटन एवं सूचीबद्ध करने एवं बोर्ड की सहमति के अनुरूप उनके अनुमोदनों, सम्मतियों, अनुमतियों की मंजूरी के समय अन्य प्राधिकारियों द्वारा लागू किये के अनुसार प्रस्ताव में कोई संशोधन स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार होगा।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये गये कथित ईक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समान किए होंगे एवं ऐसी घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि हो, के लिए पात्र होंगे।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा ऐसे सभी कार्य, मामले एवं विषय, जो अपने संपूर्ण विवेकाधीन अधिकारों के अंदर आवश्यक, उचित एवं वांछित समझें, करने एवं ईक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में कोई प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटान करने एवं ऐसे सभी कार्य, मामले एवं विषय एवं सभी दस्तावेजों एवं लिखतों का जैसा आवश्यक, वांछित या उचित हो, अपने संपूर्ण विवेकाधीन अधिकारों के अंदर जैसा उपयुक्त, सही या वांछित समझे, शेयरधारकों की और संपत्ति या अनुमोदन की अपेक्षा किये बिना अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने का प्राधिकार दिया जाता है एवं यह समझें कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों द्वार अनुमोदन दिया जाना माना जाएगा।'

'यह भी संकल्प किया जाता है कि एतद्वारा बोर्ड को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अतिरिक्त कार्यभार) को एवं / या प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक को सौंपे गये सभी या किसी भी अधिकार का उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।'

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 29.08.2015

वाई. अमरनाथ
कंपनी सचिव

सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII की शर्तों के अनुसार अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण ।
भारत सरर को अधिमानी आबंटन द्वारा इक्विटी शेयर जारी करते हुए पूँजी बढाना:

क) <u>अधिमानी निर्गम का लक्ष्य :</u>
बढते व्यापार स्तरों, जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि से होने वाली भविष्य की पूँजी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बैंक का प्रस्ताव भारत सरकार से इक्विटी लगाते हुए टायर-I पूँजी बढाना है ।

ख) बैंक का प्रवर्तक-भारत सरकार को अधिमानी आधार पर रु 378 करोड (प्रीमियम सहित) इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा ।

ग) निर्गम से पहले तथा बाद का शेयरधारिता स्वरूप

क्रम सं.	श्रेणी	आबंटन-पूर्व (दि. 21.08.2015 को)		आबंटन-पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	आबंटन-पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	धारित शेयरों की संख्या	आबंटन-पश्चात प्रदत्त पूँजी का %
ए.	प्रवर्तक की धारिता				
1	प्रवर्तक				
	भारत सरकार	367846791	61.0183	417310282	63.9742
	विदेशी प्रवर्तक				
2	सहमति से कार्य करने वाले व्यक्ति				
	(1 व 2) का उप-जोड	367846791	61.0183	417310282	63.9742
बी.	गैर –प्रवर्तक धारिता				
3	संस्थागत निवेशक				
क	म्यूच्युअल फंड तथा युटीआई	22646042	3.7565		
ख	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियाँ (केंद्रीय/राज्य सरकारी संस्थाएं/ गैर- सरकारी संस्थाएं)	76615157	12.7089		
ग	एफआईआई	40803848	6.7685		
	उप जोड	140065047	23.2339		
4	अन्य				
क	प्राइवेट कार्पोरेट निकाय	11647967	1.9322		
ख	भारतीय जनता	80080596	13.2837		
ग	एनआरआई/ओसीबी	1821440	0.3021		
घ	अन्य कोई	1384950	0.2298		
	उप जोड	94934953	15.7478		
	(3)एवं(4)का उप जोड	235000000	38.9817	235000000	36.0258
	कुल जोड	602846791	100.0000	652310282	100.0000

घ) बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में सूचित निर्धारित समय-सीमा के अंदर निर्गम प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगा ।

ङ) चूँकि यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार, बैंक के प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक को किया जाना प्रस्तावित है, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

भारत सरकार की निर्गम पूर्व और पश्च शेयरधारिता निम्न अनुसार होगी :

	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूँजी का प्रतिशत
निर्गम पूर्व	367846791	61.0183
निर्गम पश्च	417310282	63.9742

भारत सरकार ने अपने दि.19.08.2015 के पत्र द्वारा रु 378 करोड (केवल तीन सौ अठहत्तर करोड रुपये) भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी के अधिमानी आबंटन द्वारा पूँजी लगाने का अपना इरादा सूचित किया है ।

प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणाम स्वरूप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परवर्तन नहीं होगा और बैंक के प्रवर्तक होने के कारण भारत सरकार का बैंक पर नियंत्रण जारी रहेगा ।

बैंक के इक्विटी शेयर 6 महीने से अधिक सूचीबद्ध हैं तथा तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियम 2009 के विनियम 76(3) एवं 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।

अधिमानी निर्गम हेतु सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवर्तकों यानी भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी करने के लिए प्रस्तावित शेयरों पर व्यापार अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष का लॉक इन होगा ।

भारत सरकार की संपूर्ण अधिमानी-पूर्व धारिता संबंधित तिथि से स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदत्त व्यापार अनुमोदन की तिथि से छः महीने की अवधि तक लॉक रहेगा ।

असाधारण सामान्य बैठक में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र रखा जाएगा कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार निर्गम है ।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं तथा बैंक, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीकरण करार का अनुपालन कर रहा है । संबंधित तिथि के परवर्ती 6 महीनों के दौरान भारत सरकार ने बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर बेचा नहीं है ।

आपके निदेशक इस नोटिस में निहित संकल्प की सिफारिश करते हैं ।

बैंक के किसी भी निदेशक को बैंक में अपनी शेयर धारिता और पूँजी बढाने में उन की प्रतिभागिता यदि कोई हो तो, को छोडकर उपर्युक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान: हैदराबाद
दिनांक:29.08.2015

वाई. अमरनाथ
कंपनी सचिव

नोट:

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. **वोट देने का अधिकार**

अधिनियम की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त सम अनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा रखे गए किन्हीं शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक हो तो वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

उक्त के होते हुए, विनियम 68 के अनुसार **कट-ऑफ (विनिर्दिष्ट) तिथि याने 16.09.2015** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक के पास रिमोट ई-वोटिंग/मतदान द्वारा वोटिंग में उसके प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगी।

संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग करना

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम होंगे, रजिस्टर में प्रथम व्यक्ति को, वोटिंग के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम होंगे, **तो केवल प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा तथा केवल वही बैठक में वोट करने, चुनाव तथा नामांकन हेतु पात्र है ।**

3. शेयरधारकों को ईजीएम नोटिस भेजना :

बैंक ने मंगलवार, 25.08.2015 की हिताधिकारी-स्वामी सूची में दर्शाए गए शेयरधारकों को ईजीएम नोटिस भेजा है ।

4. प्राक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने व वोट देने हेतु पात्र शेयरधारक साधारण बैठक के स्थान पर बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए अपने स्थान पर किसी प्राक्सी को नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्राक्सी बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रभावी होने हेतु, प्रॉक्सी-फार्म बैठक की तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य जमा करा देना चाहिए । बैंक का कोई कर्मचारी प्रॉक्सी के रूप में अथवा विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैठक में तब तक भाग लेने तथा वोट देने के लिए कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि प्रमाणित हो, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय, हैदराबाद में साधारण बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले प्राप्त न हो ।

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश कार्ड

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश कार्ड इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारक/ प्राक्सीधारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची को भरकर निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान पर उन्हें दे दें। तत्पश्चात् उन्हें प्रवेश कार्ड जारी किया जाएगा। प्राक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में "प्राक्सी " या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, अंकित करना चाहिए।

7. **मतदान प्रक्रिया**

कार्यसूची-मदों पर मतदान हाथ उठाने के आधार पर नही होगा तथा रिमोट ई-वोटिंग तथा गुप्त मतदान द्वारा साधारण बैठक के स्थान पर होगा ।

8. **इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग**

सेबी परिपत्र दिनांक 17.04.2014 के अनुपालन में तथा कंपनीज़ (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के साथ पठित लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड स्टॉक एक्सचेंज के खंड 35 ख के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक सहर्ष असाधारण आम बैठक में अपने सदस्यों के लिए, भौतिक बैलट के अलावा, मतदान के विकल्प-माध्यम के रूप में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करता है, जो उन्हें इलैक्ट्रॉनिकली वोट देने तथा संकल्प पारित करने हेतु सक्षम बनाएगी ।

इलैक्ट्रानिक माध्यम से, शेयरधारकों द्वारा साधारण बैठक में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर वोट के अधिकार की सुविधा को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.03.2015 द्वारा 'रिमोट ई-वोटिंग' कहा गया है । इन नियमों को कंपनीज़ (प्रबंधन एवं प्रशासन) सुधार नियम, 2015 कहा जाता है ।

इस उद्देश्य हेतु, बैंक ने अपने सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिकली वोट देने हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु मैसर्ज़ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है । बैंक ने आम बैठक के स्थान पर रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करने हेतु जांचकर्ता के रूप में मैसर्ज़ टी आर रामभद्रन, व्यवहार्य कंपनी सचिव, हैदराबाद को भी नियुक्त किया है ।

रिमोट ई-मतदान वैकल्पिक है । कृपया ध्यान दें कि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात् भी साधारण बैठक में भाग ले सकता हैं किंतु उसे बैठक में पुन: वोट की अनुमति नहीं होगी।

इलैक्ट्रॉनिकली मतदान हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

(i) रिमोट ई-मतदान अवधि 20.09.2015 को प्रातः 10.00 बज़े प्रारंभ होती है तथा 22.09.2015 को 5.00 बज़े समाप्त होती है । इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक, जिनके पास बुधवार, 16.09.2015 की अंतिम तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) तक भौतिक रूप अथवा अमूर्त रूप में शेयर हैं, इलैक्ट्रानिकली अपना वोट दे सकते हैं । उसके पश्चात मतदान हेतु रिमोट ई-मतदान मॉडयूल सीडीएसएल द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा ।

(ii) शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना चाहिए ।

(iii) शेयरधारकों पर क्लिक करें ।

(iv) अब अपना यूज़र आईडी एंटर करें ।
 क) सीडीएसएल हेतु -16 अंक हिताधिकारी आईडी
 ख) एनएसडीएल हेतु - 8 करेक्टर डीपी आईडी, फिर 8 अंक ग्राहक आईडी
 ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नम्बर एंटर करना चाहिए ।

(v) प्रदर्शित इमेज-जांच एंटर करें और लॉग-इन पर क्लिक करें ।

(vi) यदि आपके शेयर डीमेट रूप में हो एवं www.evotingindia.com में लॉग किया गया हो एवं किसी कंपनी में पहले वोट दिया हो तो आपके विद्यमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है।

(vii) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हों तो नीचे दिये चरणों का अनुसरण करें।

	डीमेट रूप में एवं भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए अंतिम तिथि (विनिर्दिष्ट तिथि) 16.09.2015 तक
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक अल्फा-न्यूमेरिक *पैन* प्रविष्ट करें। (डीमेट शेयरधारियों एवं भौतिक शेयरधारियों, दोनों के लिए लागू है) • उन सदस्यों से जिन्होंने अपने पैन को बैंक/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसीपैंट के साथ अद्यतन नहीं किया है, अनुरोध है कि वे पैन के स्थान पर अपने नाम के पहले दो अक्षर एवं सीक्वेंस के 8 अंकों का प्रयोग करें। • यदि सीक्वेंस नंबर 8 अंकों से कम हो तो बडे अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद नंबर के पहले आवश्यकतानुसार शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरणस्वरूप - यदि सीक्वेंस नंबर 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार हो तो पैन के स्थान पर RA00000001 प्रविष्ट करें।
जन्म तिथि	कथित डीमेट खाते या फोलिओ के लिए दिन/माह/वर्ष फार्मेट में अपने डीमेट खाते या बैंक के खाते / आरटीए रिकार्ड में रिकार्ड की गयी जन्म तिथि प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक का ब्यौरा	कथित डीमेट खाते या फोलिओ के लिए अपने डिमेट खाते या बैंक के खाते / आरटीए रिकार्ड में दिये गये अनुसार लाभांश बैंक का ब्यौरा प्रविष्ट करें। • कृपया लॉगइन के लिए जन्म तिथि या लाभांश बैंक का ब्यौरा प्रविष्ट करें। यदि डिपॉजिटरी / बैंक / आरटीए में ब्यौरा रिकार्ड न किया गया हो तो कृपया अनुदेश (iv) में वर्णित अनुसार लाभांश बैंक के ब्यौरा स्थान पर सदस्य का आई.डी. / फोलिओ नंबर प्रविष्ट करें।

(viii) इन ब्यौरों को ठीक रूप से प्रविष्ट करने के बाद सबमिट टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को सीधा कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन में पहुँचना है। तथापि, डीमेट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को अब पासवर्ड क्रीएशन मेनु में जाना है जिसमें उनको नये पासवर्ड स्थान पर अपना लॉगइन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डीमेट धारक द्वारा किसी अन्य कंपनी, जिसमें वे वोट देने के लिए पात्र हैं, के संकल्प के लिए वोट देने हेतु भी इस पासवर्ड का प्रयोग करना है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफर्म के जरिए ई वोटिंग का विकल्प दे। यह सख्तीपूर्वक सिफारिश की जाती है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना पासवर्ड प्रकट न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतें।

(x) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ब्यौरे का प्रयोग केवल इस नोटिस में स्थित संकल्प पर रिमोट ई-वोट देने के लिए करना है।

(xi) संबंधित <आन्ध्रा बैंक> जिनको आप वोट देना चाहते हैं, के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(xii) आप वोटिंग पृष्ठ पर " रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन " एवं उसके सामने वोट देने के लिए विकल्प " हाँ / नहीं " पायेंगे। अपनी इच्छानुसार विकल्प हॉ या नहीं का चयन करें। विकल्प हॉ से अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं एवं विकल्प नहीं से यह अभिप्राय है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प का ब्यौरा चाहते हो तो " रिजोल्यूशन फाइल लिंक " पर क्लिक करें।

(xiv) संकल्प का चयन करने के उपरांत आप वोट देने का निर्णय लेकर " सबमिट " पर क्लिक करें। पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हो तो " ओके " पर क्लिक करें, यदि अपना वोट बदलना चाहते हो तो " कैंसल " पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट आशोधित करें।

(xv) आप एक बार संकल्प पर अपने वोट की " पुष्टि " करने पर आपको अपना वोट आशोधित करने की अनुमति नहीं है।

(xvi) आप अपने वोट का प्रिंट वोटिंग पृष्ठ पर " क्लिक हियर टू प्रिंट " विकल्प पर क्लिक करके ले सकते हैं।

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक उसी पासवर्ड को भूल गया हो तो यूजर आईडी एवं इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करें एवं " फारगौट पासवर्ड " पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा मांगे गये के अनुसार ब्यौरा प्रविष्ट करें।

(xviii) गैर व्यक्ति शेयरधारकों के लिए नोट (संस्थागत निवेशक) एवं अभिरक्षक

- गैर व्यक्ति शेयरधारकों (यानी वय्क्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय इत्यादि को छोडकर) एवं अभिरक्षकों को www.evotingindia.com में लॉग ऑन करने एवं अपने आपको कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है।
- इकाई के स्टांप एवं हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को मेल करनी चाहिए।
- लॉगइन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित किया जाना चाहिए। अनुपालन यूजर खाते को जोडने में सक्षम होगा जिसको वे वोट देना चाहते हैं।
- खातों की सूची **helpdesk.evoting@cdslindia.com** को मेल करनी चाहिए एवं खातों का अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे पायेंगे ।

सामान्य सूचना :

(क) रिमोट वोट देने की अवधि रविवार, 20.09.2015 को प्रातः 10.00 बज़े प्रारंभ होगी एवं मंगलवार, 22.09.2015 को 5.00 बज़े समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, चाहे भौतिक रूप में शेयर हो या डीमेट रूप में, कट ऑफ तारीख (विनिर्दिष्ट तारीख) बुधवार, 16.09.2015 को अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप में दे सकते हैं। तदुपरांत, सीडीएसएल द्वारा वोट देने के लिए रिमोट ई-वोट मोड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर वोट दे दिये जाने पर बाद में शेयरधारक को उसे परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

(ख) यदि आपको ई वोट देने के संबध में कोई संदेह या समस्या हो तो आप बार-बार पूछे गये प्रश्न (एफएओ) का संदर्भ ले सकते हैं एवं हेल्प-सेक्शन के अंतर्गत ई वोटिंग मेनुअल www.evotingindia.com में उपलब्ध है या helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल भेजें।

(ग) आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना वोट रिमोट ई वोटिंग के जरिए या ईजीएम में पोल के जरिए दें। कोई शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात् भी साधारण बैठक में भाग ले सकता है किंतु उसे बैठक में पुन: वोट की अनुमति नहीं होगी।

(घ) नए नियमों के अनुसार, वोट-प्रक्रिया द्वारा अथवा इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोट हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि साधारण बैठक की तिथि याने बुधवार, 16.09.2015 से पूर्व 7 दिन से पूर्व की तिथि नहीं है । बुधवार, 16.09.2015 तक, हिताधिकारी स्वामी शेयरधारक रिमोर्ट ई-वोटिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे । अन्य शब्दों में, बुधवार, 16.09.2015 तक शेयर रखने वाले शेयरधारक की केवल साधारण बैठक के स्थान पर भौतिक वोट में भाग तथा / अथवा इलैक्ट्रानिकली वोट देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को देख पाएंगे ।

16 वोटिंग-पेपर की प्रक्रिया साधारण बैठक के स्थान पर इस संबंध में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अतिरिक्त कार्यभार) द्वारा घोषणा के तुरंत पश्चात् प्रारंभ होगी । संकल्प पर चर्चा के पश्चात् जिसपर वोटिंग होनी है, साधारण बैठक में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, उन सभी सदस्यों हेतु जो साधारण बैठक में उपस्थित हैं किंतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वोटिंग-पेपर के प्रयोग द्वारा जाँचकर्ता के सहयोग से वोटिंग की अनुमति देंगे ।

शेयरधारक वोटिंग-पेपर में कार्यसूची-मद में अपना अनुमोदन दर्शाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तथा उन्हें साधारण बैठक के स्थान पर वोटिंग-बाक्स में डाल सकते हैं ।

उसके पश्चात वोटों की गिनती प्रारम्भ होगी ।

रिमोट ई-मतदान तथा मतदान का समेकित परिणाम बैंक तथा ई-वोटंग एजेंसी जैसे सीडीएसएल की वेबसाइट पर रखा जाएगा तथा साधारण बैठक के 48 घंटे के अन्दर, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा ।

नोट :
साधारण बैठक में केवल कार्य-सूची मद से संबंधित कोई सुझाव देने के ईच्छुक शेयरधारकों तथा उनके स्पष्टीकरण का स्वागत करता है। सुझाव, प्रश्न आदि निदेशक सेवाएं कक्ष को प्रधान कार्यालय बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Dept: Board Secretariat

(Merchant Banking Division)

प्रधान कार्यालय **Head Office** :: हैदराबाद **Hyderabad.**

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ANDHRA BANK will be held on Wednesday, September 23, 2015 at 04.30 P.M. at Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032 to transact the purpose set out below:

Agenda Item : Raising of capital by issuance of equity shares by way of preferential allotment to Government of India:

To consider and, if thought fit, pass with or without modification(s), the following Special Resolutions:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" to raise capital by creating, offering, issuing and allotting, on preferential basis to Government of India, 4,94,63,491 (Four Crore Ninety Four Lakhs Sixty Three Thousand Four Hundred and Ninety One Only) equity shares of face value of Rs.10/- each for cash at Rs.76.42p. per share **(including premium of Rs. 66.42p. per share)** as may be determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009, and aggregating upto Rs.378 Crore.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is 24.08.2015.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued, shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines, that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution".

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and CEO (addl. charge) and/or to the Executive Director in the absence of the Managing Director and CEO to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors

Y. Amarnath

Company Secretary

Place : Hyderabad

Date : 29.08.2015

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

Raising of capital by issuance of equity shares by way of Preferential allotment to Government of India:

a) **Object of the Preferential Issue:**

To meet the future capital requirements arising out of the growing business levels, growth in Risk Weighted Assets, the Bank proposes to shore up Tier I Capital, by way of equity infusion from Government of India.

b) The equity shares to the tune of Rs.378 Crores (including premium) will be allotted on preferential basis to Government of India – the Promoter of the Bank.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue:

Sl. No.	Category	Pre-allotment (as on 21.08.2015)		Post allotment	
		No. of shares held	% of pre-allotment paid-up capital	No. of shares held	% of Post-allotment Paid Up Capital
A.	**Promoter's Holding**				
1	**Promoters**				
	Government of India	**367846791**	**61.0183**	**417310282**	**63.9742**
	Foreign promoters				
2	**Persons acting in concert**				
	Sub Total of (1 & 2)	**367846791**	**61.0183**	**417310282**	**63.9742**
B	**Non –Promoter Holding**				
3	**Institutional Investors**				
a	Mutual Funds and UTI	22646042	3.7565		
b	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt.Institutions / Non-Govt. Institutions)	76615157	12.7089		
c.	FIIs	40803848	6.7685		
	Sub Total	**140065047**	**23.2339**		
4	**Others**				
a	Private Corporate Bodies	11647967	1.9322		
b	Indian Public	80080596	13.2837		
c	NRIs/OCBs	1821440	0.3021		
d	Any Other	1384950	0.2298		
	Sub Total	**94934953**	**15.7478**		
	Sub Total of (3) and (4)	**235000000**	**38.9817**	**235000000**	**36.0258**
	Grand Total	**602846791**	**100.0000**	**652310282**	**100.0000**

d) The Bank shall endeavour to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

e) As the entire issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	**Percentage to Paid-up Capital**
Pre Issue	367846791	61.0183
Post Issue	417310282	63.9742

Government of India vide their letter dated 19th August, 2015 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs. 378 crore (Rupees Three Hundred and Seventy Eight Crore only) by way of preferential allotment of equity in favour of Government of India.

Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment

The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.

As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval.

The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchanges.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

All the shares held by the Government of India are in dematerialised mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

Your Directors recommend the RESOLUTION as set out in the Notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank and their participation in the raising of capital, if any.

By order of the Board of Directors

Y. Amarnath
Company Secretary

Place : Hyderabad
Date : 29.08.2015

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**
   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **VOTING RIGHTS**
   In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

   Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut off (Specified Date) date, i.e. 16.09.2015** shall have one vote for each share held by him/her in remote e-voting / voting through poll.

   Exercise of rights of joint holders:

   As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.**

3. **SENDING OF EGM NOTICE TO THE SHAREHOLDERS**

   The Bank has sent the notice of EGM to the shareholders appearing in the list of beneficial owners as on Tuesday, 25.08.2015.

4. **APPOINTMENT OF PROXY**

   A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and to participate in the POLL at the venue of the General Meeting instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

   In order to be effective, the proxy form must be deposited at the Head Office of the Bank atleast four days before the date of the meeting, No employee of the Bank shall be appointed as a duly authorized representative or as a proxy.

5. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**
   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company, unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Hyderabad not less than four days before the date of the meeting.

6. **ATTENDANCE SLIP -CUM- ENTRY PASS**
   For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter Entry slip shall be issued to them. Proxy/ Authorised Representative of the shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

7. **POLL PROCESS**
   The voting on the Agenda item will not be on the basis of show of hands but shall be done by remote e-voting and poll by means of a secret ballot at the venue of the General Meeting.

8. **VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS**
   In compliance with provisions of Clause 35B of the Listing Agreement with Stock Exchanges, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and in compliance with the SEBI Circular dated 17.04.2014, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility as an alternative mode of voting, besides physical ballot, for its Members at the Extraordinary General Meeting which will enable them to cast their votes electronically and to pass the RESOLUTION.

   The facility to exercise the right to vote on resolutions proposed to be considered at General Meeting by the shareholders, by electronic means has been termed as 'Remote e-voting' by Ministry of Corporate Affairs vide their Notification dated 19.03.2015. These Rules are called as the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015.

   For this purpose, the Bank has appointed M/s. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as e-voting agency to provide the Remote e-voting platform for facilitating its Members to vote electronically. The Bank has also appointed M/s T.R Ramabhadran, Practising Company

Secretary, Hyderabad, as the Scrutinser for conducting the Remote e-voting process and the POLL process at the venue of the General Meeting in a fair and transparent manner.

The Remote e-voting is OPTIONAL. Please note that a Member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Meeting.

<u>The instructions for members for voting electronically are as under:-</u>

(i) The remote e-voting period begins at 10.00 A.M. on 20.09.2015 and ends at 5.00 P.M. on 22.09.2015. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Specified date), Wednesday, 16.09.2015, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the e-voting website **www.evotingindia.com**.

(iii) Click on Shareholders.

(iv) Now Enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID
b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID
c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to **www.evotingindia.com**; and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow, the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form as on cut-off date (Specified date), 16.09.2015
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA /Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank's / RTA's records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank's / RTA's records for the said demat account or folio. • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank / RTA, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for the relevant <ANDHRA BANK> on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Note for Non – Individual Shareholders (Institutional Investors) and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to **www.evotingindia.com**; and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**;
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**; and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.

General Information:

(A) The Remote e-voting period begins from 10.00 A.M. on Sunday, 20.09.2015 and ends at 5.00 P.M. on Tuesday, 22.09.2015. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (Specified date), for voting Wednesday 16.09.2015, may cast their vote electronically. The Remote e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

(B) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com;** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**;

(C) You are advised to cast your vote through Remote e-voting or through Poll at the Extraordinary General Meeting. A Shareholder may participate in the General Meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again.

(D) As per the new Rules, the cut-off date to determine the eligibility of the shareholders to vote by electronic means or through POLL process, ***is a date not earlier than seven days before the date of General Meeting***, viz., Wednesday, 16.09.2015. The shareholders who are the Beneficial owners as on Wednesday, 16.09.2015 will be eligible to participate in Remote e-voting. In other words, the shareholders holding shares as on Wednesday, 16.09.2015 only will be able to access the remote e-voting module to vote electronically and/or participate in the physical POLL at the venue of the General Meeting.

16. The issue of POLL Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Managing Director and CEO (Addl. Charge) at the venue of the General Meeting. The Managing Director and CEO shall at the General Meeting at the end of discussion on the Resolution on which voting is to be held, allow voting with the assistance of the scrutinizer by use of polling paper for all those members who are present at the General Meeting but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

Shareholders may exercise their right by indicating their approval against the agenda item in the POLL paper and deposit them in the POLL Box(es) kept at the venue of the General Meeting.

The counting of votes would be taken up thereafter.

The consolidated results of remote e-voting and Poll will be posted on the website of the Bank and on the website of the remote e-voting agency, viz., CDSL, and will be informed to the Stock Exchanges, within 48 hours of holding of the General Meeting.

Note:

Bank shall highly appreciate if shareholders, desirous of making any suggestion, seeking clarification, etc. relating to the item of agenda only, at the General Meeting, may send their suggestions, Queries, etc. so as to reach the Investors' Services Cell at Head Office of the Bank atleast 15 days before the date of meeting.

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

On Wednesday, September 23, 2015 at 04.30 P.M. at Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/Authorised Representative)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

....

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004,

.ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

On Wednesday, September 23, 2015 at 04.30 P.M. at Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio		**DP ID & Client ID**	
(If not dematerialized)		(If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

Shareholders / Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the Entry Pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip- cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting.

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**

Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)	
DP ID No.	
Client ID No. (if Dematerialised)	
No. of shares	

I / We ____ resident/s of ____ in the District of ______________________ in the State of ________________ being a shareholder / shareholders of Andhra Bank hereby appoint Shri / Smt.____________________________________ Resident of __________________________________ in the District of _____________ in the State of _____________ or failing him, Shri / Smt _____________Resident of _____________in the District of _____________ in the State of _____________ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank to be held on 23rd September, 2015, at 04.30 P.M. at Andhra Bank Apex College, Plot No. 27-29, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad–500032, and at any adjournment thereof.

Signed this __________day of____________2015

Revenue Stamp Re.1/-

____

____

Signature of Proxy

Signature of first named / sole shareholder

Name: ____________________

Address: __________________

____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing;
   c) in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.

2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.

3. The proxy together with
   a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.

   b. not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 05.00 p.m. on **Friday, 18.09.2015.**

4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulations.

5. An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final.**

6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.

8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

उपस्थिति स्लिप-सह-प्रवेश पास

असाधारण आम बैठक

बुधवार, सितंबर 23, 2015, को सायं 04.30 बज़े आन्ध्रा बैंक, एपेक्स कॉलेज, प्लॉट नंबर. 27-29, फैनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032

<u>उपस्थिति पर्ची</u>

(बैठक स्थल में प्रवेश करते समय सुपुर्द करनी है)

<table>
<tr><td colspan="2">नाम (बड़े अक्षरों में)
(शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">शेयरों की संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पंजीकृत फोलियो
(यदि अमूर्त नहीं हो)</td><td></td><td rowspan="2">डी पी आई डी एवं
ग्राहक आई डी
(यदि अमूर्त हो)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर</td></tr>
</table>

....

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, तेलंगाना

<u>प्रवेश पास</u>

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

बुधवार, सितंबर 23, 2015, को सायं 04.30 बज़े आन्ध्रा बैंक, एपेक्स कॉलेज, प्लॉट नंबर. 27-29, फैनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032

<table>
<tr><td colspan="2">नाम (बड़े अक्षरों में)
(शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">शेयरों की संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पंजीकृत फोलियो
(यदि अमूर्त नहीं हो)</td><td></td><td rowspan="2">डी पी आई डी एवं
ग्राहक आई डी
(यदि अमूर्त हो)</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर</td></tr>
</table>

शेयरधारकों/शेयरधारक के प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक स्थल में प्रवेश हेतु उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को, बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर करके, प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें। तथापि प्रवेश, आवश्यक माने गए सत्यापन/जाँच की शर्त पर है। प्रवेश पास शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को वापिस सौंप दिया जाएगा, जिसे बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु कोई डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा ।

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालयः डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, तेलंगाना

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

पंजीकृत फोलियों नं	
(यदि अमूर्त न हो)	
डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि अमूर्त हो)	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम______________________________निवासी________________जिला______________ ____________________ राज्य__________________ आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतत्-द्वारा श्री/श्रीमती____________________________ निवासी______________ जिला____________ राज्य____ या इनके न आने पर श्री/श्रीमती__________________________निवासी_____________________ जिला______________ राज्य____________________ को बुधवार, सितंबर 23, 2015, को सायं 04.30 बज़े आन्ध्रा बैंक, एपेक्स कॉलेज, प्लॉट नंबर. 27-29, फैनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032 में होने वाली आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक और उसके किसी स्थगन में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

रु 1/- का राजस्व स्टांप

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम ______________________

पता ______________________

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश :

1. प्रॉक्सी का कोई लिखित तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि,

ए) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो

बी) संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो

सी) निगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो। यह ध्यान दें कि उन्हें विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु अधिकार देने वाले संकल्प की एक प्रति संलग्न की जानी है, जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो ।

2. प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर हों जो किसी कारणवश हस्ताक्षर नहीं कर सकते हों, तो उस पर निशान लगाएं और वह निशान किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंसेस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए।

3. प्राक्सी के साथ

   क) मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा, नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, आन्ध्रा बैंक के प्रधान कार्यालय, हैदराबाद 500 004 में जमा की जाए.

   ख) बैंक की कार्य समाप्ति से पूर्व शुक्रवार,18.09.2015 को 5.00 बज़े सायं तक असाधारण आम बैठक की तिथि से **कम से कम 4 दिन** पूर्व प्रस्तुत की जाए ।

4. प्राक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित न हो तथा विनियम के फार्म 'बी' में न हो ।

5. बैंक में जमा करायी गयी प्राक्सी लिखत **अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी.**

6. वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे.

7. प्राक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो.

8. जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

****

आन्ध्रा बैंक **Andhra Bank**
(A Govt. of India Undertaking)

FOR PHYSICAL SHAREHOLDERS ONLY – *IF THERE IS ANY CHANGE IN THE PRESENT DETAILS, THEN SUBMIT THIS FORM WITH A COVERING LETTER*

To
The Company Secretary
Andhra Bank
Investor Services Section
Head Office, Dr.Pattabhi Bhavan
5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500 004.

REQUEST FOR ELECTRONIC CLEARING SERVICE
(ONLINE CREDIT OF DIVIDEND TO BANK ACCOUNT ON THE DATE OF DIVIDEND PAY-OUT)

1.	FIRST SHAREHOLDER'S NAME (IN BLOCK LETTERS)			
2.	ADDRESS			
(Please furnish PINCODE without fail)				
3.	MOBILE NO.			
4.	E.MAIL ID			
5.	PAN CARD NO.			
6.	**REGD. FOLIO NUMBER**			
7.	BANK A/C NO. (CBS A/C) (As appearing on the Cheque)			
8.	BRANCH NAME			
9.	IFSC CODE			
10.	ACCOUNT TYPE (PLEASE TICK)	SAVINGS	CURRENT	OD
11.	MICR CODE (9 DIGIT CODE NO. APPEARING ON THE CHEQUE)			

PLEASE ATTACH A PHOTOCOPY OF A CHEQUE LEAF OR A BLANK CANCELLED CHEQUE ISSUED BY YOUR BANK RELATING TO THE ABOVE ACCOUNT FOR VERIFYING THE DETAILS FURNISHED ABOVE.

DECLARATION

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Andhra Bank responsible.

Place :
Date : Signature of the First Holder

CERTIFICATE BY BANK MANAGER
(To be used if shareholder does not have cheque book facility)

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place :
Date : Signature of the Bank Manager with stamp

ANDHRA BANK

(A Govt of India Undertaking)

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11 Saifabad, Hyderabad – 500004

Website: www.andhrabank.co.in

ATTENTION

All Shareholders of Andhra Bank

In terms of circular dated April 21st 2011 of the Ministry of Corporate Affairs on Green Initiative, the Bank has hosted on its website www.andhrabank.in; a detailed Notice requesting the Members of the Bank, who have not registered their e-mail ids and / or Bank Mandate details, to register/update the said details with Bank/ R&T Agent to receive the Notice of General Meeting and other communication(s) in electronic form and to facilitate electronic payment of dividend, if any, to Members.

We request all Members of the Bank, holding shares in physical form, who have not updated the aforesaid details, to kindly visit the Bank's website www.andhrabank.in and submit the required details in the form provided therein.

The Members, holding shares in electronic form, are requested to register/ update their e-mail address/ Bank Mandate details with their Depository Participants.

For any further clarification in this regard, please feel free to contact us on 040 – 23252371 or e-mail at mbd@andhrabank.co.in;.

For ANDHRA BANK

Place: Hyderabad
Date: 29/08/2015

Y. Amarnath
Company Secretary

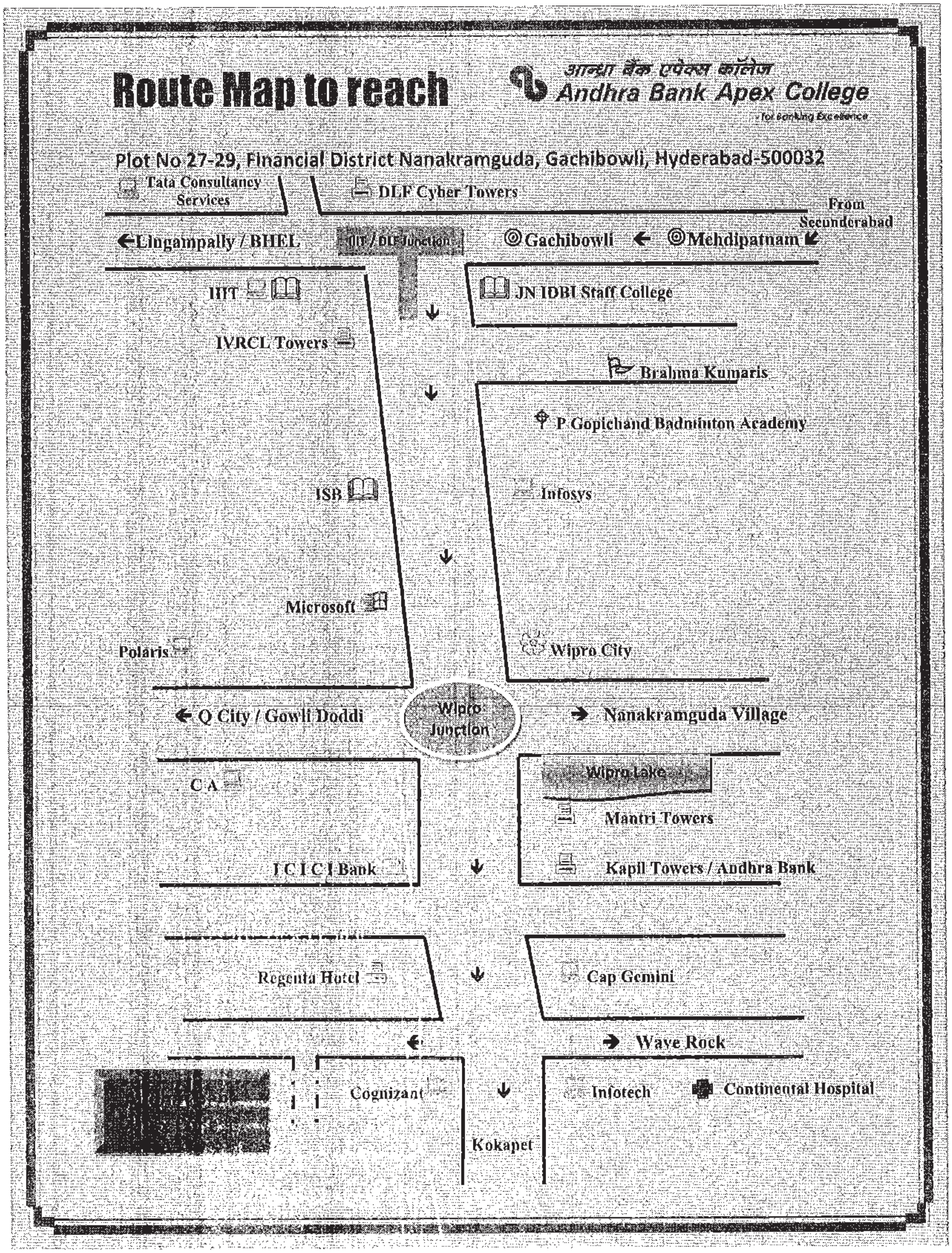

Bus Numbers : From Koti - 118W, 116N

From Secunderabad - 47L/I (Infotech)

10H/17 (Infotech)

10H/W (Infotech)

For Enquiry Toll Free No. APSRTC:18002004599

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.
युनिट: आन्ध्रा बैंक
002, भू-तल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5,
पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई - 400 009
फोन नं. 022-40206020 / 22 / 23 / 24
फेक्स नं. 022-40206021
ई-मेल आईडी : mcssta.mumbai@gmail.com
संपर्क व्यक्ति : श्री उदय मोगवीरा

If Undelivered, Please return to:

M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED
UNIT: ANDHRA BANK
002, GROUND FLOOR,
KASHIRAM JAMNADAS BLDG., 5,
P.D'MELLO ROAD, MASJID EAST
MUMBAI - 400 009.
Ph. No. 022-40206020/22/23/24
Fax No. 022-40206021

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)
प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Print@ Karshak: 040-27618261